न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला–बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– श्री शिवराज मीणा, आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0:–136/दावा/2019

ता0 रजू 11.09.2019

GCMS ID–2019/00584

उनवान

1. कालूलाल आ0 भवाना जाति बैरवा निवासी डाबला तहसील हिण्डोली, बून्दी।
2. फौरूलाल आ0भवाना जाति बैरवा निवासी डाबला तहसील हिण्डोली, बून्दी।

–वादीगण–

बनाम

1. रमेश आ0 भवाना जाति बैरवा निवासी डाबला तहसील हिण्डोली, बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत :– तकासमा आराजियात

उपस्थितः–

श्री विजय कुमार माहेश्वरी अधि0 वादीगण

श्री अनिल गुर्जर अधि0 प्रतिवादी

आदेश दिनांकः–17.09.2025

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि वादीगणकृषि भूमि ग्राम डाबला पटवार मण्डल अणतगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 28 की कृषि भूमि खसरा संख्या 454 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा विस्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2073–76 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा बराबर दुर्ज है अर्थात उक्त भूमियों में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा निहित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पैतृक स्वामित्व की भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके पर अपने अपने हिस्से के अनुसार भूमि को आपसी सहमति से काश्त कर रहे है किन्तु विवादित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपस में विधि अनुरूप बंटवारा नहीं हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि संयुक्त स्वामित्व में दर्ज होने के कारण मौके पर विवादित की स्थिति उत्पन्न हो जाती है एंव वादीगण को अपने हिस्से की भूमि को विकसित करने, भूमि की लगान पिलाई देने व कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त करने में भारी असुविधा का सामना करना पडता है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से विवादित भूमि का विधि अनुरूप अपने अपने हिस्से के अनुसार भूमि का बंटवारा कराकर अपने अपने हिस्से में आई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में पृथक पृथक अपने अपने खाते अंकन करवाने एवं बंटवारे में आई भूमियों पर अपना अपना कब्जा काश्त करने हेतु कई दफा निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 हमेशा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

...लम टोल करता रहा है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि विवादित भूमि में विधिवत अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाए, बंटवारा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में उसे पृथक से अपने खाते अंकित करावे एंव बंटवारे में प्राप्त भूमि का कब्जा प्राप्त करें। वादीगण ने अभी मई 2019 में अंतिम सप्ताह में प्रतिवादी संख्या 1 से विवादित भूमि का अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कराने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। यही वादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने व बंटवारे के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। वादीगण को वाद कारण मई 2019 के अंतिम सप्ताह में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा कराने से इंकार करने पर उत्पन्न हुआ। वाद अवधि मध्य पेश है। विवादित भूमिया ग्राम डाबला पटवार मण्डल अणतगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने के कारण न्यायालय श्रीमान को उक्त वाद के श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है। अतः वादीगण की प्रार्थना है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधि अनुरूप बंटवारा किया जाकर विवादित भूमियों में वादीगण के हिस्से आई भूमियों के खिलाफ रिकॉर्ड में वादीगण के पृथक खाते अंकित किया जावे एवं बंटवारे में वादीगण को प्राप्त हुई भूमि का कब्जा वादीगण को व प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त भूमियों का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को दिलाया जावे। खर्चा मुकदमा व अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो, वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण नं. 01 द्वारा जबाव पेश नहीं करने पर जबाव बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादीगण का जबाव पेश नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 28 सम्वत 2073–2076 वाके ग्राम डाबला पटवार मण्डल अणतगंज तहसील हिण्डोली पेश किये है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादीगण–प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांक :– 09.01.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार दबलाना को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/25/963 दिनांकः– 05.06.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार ''विभाजन'' का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस वादीगण के अधिवक्ता की सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. कालूलाल पुत्र भवाना जाति बैरवा सा0 देह0 खातेदार रहिन जमाबंदी अनुसार।	454/2	0.3264
	योग	किता– 1	0.3264
2.	1. फौरूलाल पुत्र भवाना जाति बैरवा सा0 देह0 खातेदार रहिन जमाबंदी अनुसार।	454/1	0.3263
	योग	किता–1	0.3263
3.	1. रमेश पुत्र भवाना जाति बैरवा सा0 देह0 खातेदार रहिन जमाबंदी अनुसार।	454/3	0.3264
	योग	किता–1	0.3264
4.	1. शामलाती खाता बदस्तूर जमाबंदी अनुसार।	454/4	0.0569
	योग	किता–1	0.0569

वादीगण व प्रतिवादी के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादीगण व प्रतिवादी के हिस्से रहने वाली भूमियों का नायब तहसीलदार, दबलाना मौकें पर पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/09/2025

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली